

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-149/2025

चरणसिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ राज0.

-वादी

बनाम

1. बलतेज कौर पत्नी जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ राज0.  
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते  
इन्फिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानिया वकील वादी मिन जाकिन  
मुदई श्री सुभाष कासनिया वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म  
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:- वादी के नाम दर्ज भूमि चक न. 18 एम.जे.डी खाता  
सख्या 122/103 ज.स.2071-2074 मे 2.024 है भूमि का प्रतिवादी स 1 को खातेदार  
काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से वादी का नाम कलमजन किया जावे एव चक न 25  
ए.एम.पी खाता स 71/54 ज.स. 2073-2076 मे वादी का 2.024 है हिस्सा बंढाया जाकर  
प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जावे। तथा वादी का नाम चक न. 18 एम.जे.  
डी खाता स 122/103 ज.स. 2071-2074 चरणसिंह उर्फ चरणजीतसिंह पुत्र जसवन्त  
सिंह के स्थान पर चरणसिंह पुत्र जसवन्त सिंह अंकित किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत  
दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान  
अपना अपना वहन करेंगे।

निज. ~~निल~~ मुब्लिक. ~~निल~~ बाबत्. ~~निल~~ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा  
शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक. ~~अदा~~ करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.4.2022 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया